शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिक / आरटीई / 2021 / 165 भोपाल, दिनांक 08.01.2021

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले
मध्यप्रदेश

विषयः— शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं की सत्र 2019—20 की फीस प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत पूर्व के जारी निर्देशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त वर्तमान में COVID—19 वायरस के संक्रमण के कारण अशासकीय शालाओं की सत्र 2019—20 की फीस प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय स्कूलों द्वारा प्रपोजल तैयार करने में तथा नोडल अधिकारियों को प्रपोजल के सत्यापन में समस्या आ रही है। अतः उक्त आपदा परिस्थितियों के कारण सत्र 2019—20 की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है।

1. सत्र 2019—20 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की संख्या एवं अशासकीय स्कूल द्वारा अन्य बच्चों से ली जाने वाली फीस अथवा शासन का इस वर्ष का प्रति छात्र व्यय राशि रूपये 5116/— इनमें से जो भी कम हो के मान से पात्रता अनुतार की जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति की 20 प्रतिशत राशि संबंधित गैर अनुदान एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को अग्रिम रूप से जारी की जाये।
2. उक्त प्रयोजन हेतु जिला शिक्षा केन्द्र में पूर्व वर्ष से ही प्रायेवट स्कूल का बेंक डिटेल यथा ब्रांच का नाम, खाता कंमाक एवं आईएफएससी कोड़ की जानकारी उपलब्ध है। अतः जिले से 20 प्रतिशत राशि पात्रतानुसार इन प्रायवेट स्कूलों के बैंक खाते में सीधे हस्तांरित की जाये।
3. सत्र 2019—20 की फीस प्रतिपूर्ति के उक्त प्रयोजन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र से जिला शिक्षा केन्द्र को राशि रूपयें 96 करोड़ प्रेषित किये जा चुके है।
4. सत्र 2019—20 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल अशासकीय स्कूल के माध्यम से आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त होने पर इस अग्रिम प्रदत्त राशि को समायोजित करते हुये शेष देय राशि का भुगतान संबंधित अशासकीय स्कूल को नियमानुसार किया जाये।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता देते हुये दिनांक 15 जनवरी 2021 तक समस्त संबधित अशासकीय स्कूलों को सत्र 2019—20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए कुल आंकलित राशि की 20 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2021 / 166 भोपाल, दिनांक 08.01.2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्व.प्र.) स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिलें म.प्र. ।
4. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2019–20 में संचालित गैर अनुदान तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण परीक्षण उपरांत समय सीमा में पूर्ण करें।

(लोकेश कुमार जांगिड)
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र